कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा (राज.)

क्रमांकः– प–6–क ( ) भील/अप/20/स्पेशल–02 दिनांकः–30.09.2020

महानिरीक्षक पुलिस,

अजमेर रेंज, अजमेर।

विषयः–परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार के सम्बन्ध में।
प्रसंगः–सीएम हैल्प लाईन की आईडी न0 09200678670626 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि श्री ज्ञानेश कुमार के प्राप्त परिवाद दिनांक 05.09.2020 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर जयपुर सस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक '' निर्दोष को हिरासत में पीटा, करेडा एसएचओ समेत चार पर केस दर्ज '' के संबंध में अंकित तथ्यों की रिपोर्ट वृताधिकारी वृत आसीन्द जिला भीलवाडा से प्राप्त की गई।

प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 22.09.2020 को प्रार्थी श्री सुभाष वशिष्ठ हाल निवासी–रेह, शिव शक्ति माईन्स एण्ड मिनरल रेह थाना करेडा जिला भीलवाडा ने एक लिखित रिपोर्ट विरूद्ध श्री मेवाराम पिता कजोड जाति गुर्जर निवासी रेह थाना करेडा के इस आश्य की पेश कि की हमारा रेह गांव में एक खनन पटटा शिव शक्ति माईन्स एण्ड मिनरल के नाम से है जिसमें हमने मदनलाल सुथार से जमीन एन.ओ.सी. पर ले रखी है उसमें जाने का रास्ता मेवालाल गुर्जर निवासी रेह रोकता है व गाली गलोच करता है खनन कार्य में बाधा उत्पन्न कर लेबर को नही जाने देता है आदि। परिवाद पर जांच की गई अप्रार्थी मेवाराम को दिनांक 22.8.2020 को थाना पर तलब किया गया तो मेवाराम गुर्जर निवासी– रेह थाना करेडा उपस्थित आया जो थाने पर प्रार्थी श्री सुभाष वशिष्ठ को देखकर आक्रोशित होकर मरने मारने पर आमदा रहने पर अर्न्तगत धारा 107–151 जाप्ता फौजदारी शांति भंग करने के कारण गिरफतार किया गया। जिसको नियमानुसार गिरफतार किया जाकर राजकीय चिकित्सक से स्वास्थ्य परिक्षण करवाया गया। गैर सायल को एसडीएम करेडा के न्यायालय में पेश किया गया जिसको जमानत मुचलको पर पाबन्द किया गया। थाने पर किसी ने भी गैर सायल मेवाराम के साथ मारपीट नही की गई थी। श्री मेवाराम पिता कजोड गुजर्र निवासी रेह के खिलाफ थाना करेडा पर पुर्व में प्रार्थी श्री सुभाष वशिष्ठ द्वारा उसके साथ जमीन बेचने के नाम पर रूपये लेने व जमीन की रजिस्ट्री नही करवाने के कारण प्रकरण संख्या 129/2020 धारा 406–420 भा.द.स. दर्ज होकर जैर अनुसंधान है। श्री मेवाराम पिता कजोड गुर्जर निवासी रेह थाना करेडा जिला भीलवाडा का एक इस्तगासा अर्न्तगत धारा 156(3) जा.फो. के तहत न्यायालय श्रीमान जे.एम. साहब मांडल के न्यायालय से विरूद्ध श्री जगदीश प्रसाद थानाधिकारी करेडा, श्री सुभाष वशिष्ठ दिवान, श्री सेन्की पुत्र सुभाष वशिष्ठ दिवान व श्री राजेश कुमार सिपाही थाना करेडा के खिलाफ इस आश्य का पेश किया कि दिनांक 22.8.2020 को थाना करेडा से सिपाही राजेश कुमार प्रार्थी को बुला कर थाने लाये। थाने पर थानाधिकारी जगदीश प्रसाद ने कपडे खुलवाकर हवालात में बिठा दिया व कहा की सुभाष वशिष्ठ दिवान की माईनस का रास्ता खोल देना। दुसरे दिन मेरे को हवालात से बाहर निकाल कर थानेदार जगदीश चौधरी ने मारपीट की आदि इस्तगासा पर प्रकरण

सख्या– 158/2020 धारा 166,323,341,120बी,384 भादस मे दर्ज कर अनुसंधान श्री बुद्वराज आर. पी.एस. सी.ओ. गंगापुर द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण मे अनुसंधान जारी है।

अतः जांच रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

जिला पुलिस

अधीक्षक,

भीलवाडा